राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/2015 जयपुर, दिनांक : 24 APR 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजना के नाम के संबन्ध में।**
संदर्भः– **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 में किए गए संशोधन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबन्ध में छोटे रूप** में लिखे जाने हेतु अलग–अलग स्तर से अलग–अलग प्रकार के यथा **महानरेगा, मनरेगा आदि जैसे नाम प्रयोग** में लिए जा रहे है। **महात्मा गांधी के नाम को छोटे रूप में शब्दादित किया जाना किसी प्रकार से उचित नही है।**

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के बिन्दु संख्या 2 में स्पष्टतः वर्णित है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को "महात्मा गांधी नरेग्स" के रूप में तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को "महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.अ" के रूप में निर्दिष्ट किया जाये। इसी प्रकार अंग्रेजी में इसे क्रमशः "Mahatma Gandhi NREGS" एवं " Mahatma Gandhi NREGA" के रूप में निर्दिष्ट किया जावे।

अतः इस संबन्ध में यह **निर्देश दिए** जाते है कि **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005** एवं **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम** से संबन्धित संदर्भ के लिए **अधिनियम में वर्णित उक्त प्रावधान के अनुरूप ही** संदर्भ काम में लिए जावे। **महानरेगा या मनरेगा या अन्य किसी प्रकार के छोटे शब्दनाम प्रयोग में नही लिए जावे।**

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय
21/4/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा एवं उदयपुर।
6. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
8. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) ईजीएस, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर/बाड़मेर।
11. अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस, समस्त राजस्थान।
12. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
13. समन्वयक (आई.ई.सी.) मुख्यालय।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

मुकेश विजय
अधि. अभि. (ईजीएस)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935
No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

का.आ.19(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1.(1) इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 संशोधन आदेश, 2013 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची-1
[धारा 4(3) देखें)]
ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

1. धारा 4 के अधीन अधिसूचित स्कीम को सभी राज्यों द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" कहा जाएगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) का उल्लेख होगा ।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को इसके पश्चात् "महात्मा गांधी नरेगा" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से संबंधित उक्त स्कीम के किसी निदेश को "महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा. स्की, के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

2. In the National Rural Employment Guarantee Act 2005, for Schedule I and II, the following shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE - I

[See section 4 (3)]

MINIMUM FEATURES OF A RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME

1. The Scheme notified under section 4 by all States shall be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" and all documents pertaining to the said Scheme shall have a mention of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005).

2. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme shall hereinafter be referred to as "Mahatma Gandhi NREGS" and any reference in the said scheme to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 shall be referred to as "Mahatma Gandhi NREGA".

3. The core objectives of the Scheme shall be the following:

(a) Providing not less than one hundred days of unskilled manual work as a guaranteed employment in a financial year to every household in rural areas as per demand, resulting in creation of productive assets of prescribed quality and durability;
(b) Strengthening the livelihood resource base of the poor;
(c) Proactively ensuring social inclusion and
(d) Strengthening Panchayat raj institutions.

Provided that the said objectives are applicable where the adult members volunteer to do unskilled manual work subject to the conditions laid down by or under this Act and in the Scheme.

4. (1) The focus of the Scheme shall be on the following works as categorised below:

I. Category A: PUBLIC WORKS RELATING TO NATURAL RESOURCES MANAGEMENT -
(i) Water conservation and water harvesting structures to augment and improve groundwater like underground dykes, earthen dams, stop dams, check dams with special focus on recharging ground water including drinking water sources;
(ii) Watershed management works such as contour trenches, terracing, contour bunds, boulder checks, gabion structures and spring shed development resulting in a comprehensive treatment of a watershed;
(iii) Micro and minor irrigation works and creation, renovation and maintenance of irrigation canals and drains;
(iv) Renovation of traditional water bodies including desilting of irrigation tanks and other water bodies;
(v) Afforestation, tree plantation and horticulture in common and forest lands, road margins, canal bunds, tank foreshores and coastal belts duly providing right to usufruct to the households covered in Paragraph 5; and
(vi) Land development works in common land.

II. Category B: INDIVIDUAL ASSETS FOR VULNERABLE SECTIONS (ONLY FOR HOUSEHOLDS IN PARAGRAPH 5)
(i) Improving productivity of lands of households specified in Paragraphe5 through land development and by providing suitable infrastructure for irrigation including dug wells, farm ponds and other water harvesting structures;
(ii) Improving livelihoods through horticulture, sericulture, plantation, and farm forestry;
(iii) Development of fallow or waste lands of households defined in Paragraph 5 to bring it under cultivation;
(iv) Unskilled wage component in construction of houses sanctioned under the Indira Awaas Yojana or such other State or Central Government Scheme;
(v) Creating infrastructure for promotion of livestock such as, poultry shelter, goat shelter, piggery shelter, cattle shelter and fodder troughs for cattle; and
(vi) Creating infrastructure for promotion of fisheries such as, fish drying yards, storage facilities, and promotion of fisheries in seasonal water bodies on public land;

III. Category C: COMMON INFRASTRUCTURE FOR NRLM COMPLIANT SELF HELP GROUPS
(i) Works for promoting agricultural productivity by creating durable infrastructure required for bio-fertilizers and post-harvest facilities including pucca storage facilities for agricultural produce; and
(ii) Common work-sheds for livelihood activities of self-help groups.

IV. Category D: RURAL INFRASTRUCTURE:
(i) Rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, Anganwadi toilets either independently or in convergence with schemes of other Government Departmentsto achieve 'open defecation free' status. and solid and liquid waste management as per prescribed norms